

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना, दिनांक—

संचिका संख्या :-17/कोर्ट-92/2012...../स्वा0, माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या-2227/2012 डा0 धरणीकांत ईस्सर बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य (समादेश याचिका संख्या-657/2008 से उत्पन्न) के आलोक में समादेश याचिका संख्या में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ डा0 धरणीकांत ईस्सर सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक, ई0एन0टी0 विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या -106 दिनांक-27.01.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत कार्यकारी व्यवस्था के तहत सह-प्राध्यापक के पद पर किये गये पदस्थापन के उपरांत उक्त पद पर योगदान की तिथि से वेतनमान-12,000-16,500 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-05 में अंकित तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र0	चिकित्सक शिक्षक का नाम	कार्यकारी व्यवस्था के तहत सह-प्राध्यापक के पद पर पदस्थापन की अधिसूचना संख्या एवं योगदान की तिथि	सह-प्राध्यापक के पद पर पूर्व में दी गई नियमित प्रोन्नति की अधिसूचना संख्या एवं तिथि	सह-प्राध्यापक के पद पर कार्यकारी प्रभार की तिथि से प्रस्तावित नियमित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5
1	डा0 धरणीकांत ईस्सर, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक, ई0एन0टी0 विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	195(17) दिनांक- 25.04.98 01.08.98	968(17) 22.10.05 द्वारा 18.10.2003 के प्रभाव से।	01.08.1998

- उक्त प्रोन्नति के पश्चात् कार्यकारी प्रभार की अवधि के लिए दी गई अतिरिक्त वेतन की राशि का सामंजन करते हुए डा0 ईस्सर को शेष देय राशि का भुगतान किया जायेगा।
- उक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विवेकानन्द ठाकुर )

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-92/2012 - 98(17)

पटना, दिनांक :- 13/2/19

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में सी0डी0 के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार पटना को ई0 गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 धरणीकांत ईस्सर सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक, ई0एन0टी0 विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-17/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 9 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

112